



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

29/8/2022 को फैसला सुरक्षित

30/9/2022 को फैसला सुनाया गया

आपराधिक अपील संख्या 1678/2018

लाखन बांद्रा उर्फ सरजोम पुत्र श्री विजय बांद्रा, उम्र
लगभग 50 वर्ष, निवासी ग्राम साहनी, पदमपुर स्कूल
के सामने, उरांव मोहल्ला, पुलिस स्टेशन चक्रधरपुर,
जिला चाईबासी (झारखंड)

-----अपीलकर्ता (जेल में)

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य,
पुलिस स्टेशन कोटरारोड, जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

-----प्रतिवादी

अपीलकर्ता के लिए : श्री ऋषि राहुल सोनी, अधिवक्ता
प्रतिवादी/राज्य के लिए : श्री सुदीप वर्मा, उप सरकारी अधिवक्ता,
श्री अनमोल शर्मा के साथ पैनल वकील

माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल और
माननीय श्री न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत
सी.ए.वी. निर्णय

माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल

1. यह आपराधिक अपील, अपीलकर्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 374(2) के तहत, रायगढ़ के विद्वान द्वितीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) द्वारा पॉक्सो अधिनियम 2012/18/2016 में पारित दिनांक 30.10.2017 के दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के पारित निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को निम्नलिखित धाराओं में दोषी ठहराया एवं दण्डादेश दिया है।



2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 21.1.2016 से 6-7 महीने पहले अपीलकर्ता ने पीड़िता सं. 1/(पीडब्लू 5) (सुरेन्द्र गगराई की पुत्री) को धोखाधड़ी, छल और प्रलोभन देकर किरोड़ीमल नगर, रायगढ़ से दिल्ली ले गया और उसे सह-अभियुक्त चंपई मुंडा को बेच दिया और उसके बाद सह-अभियुक्त चंपई मुंडा ने पीड़िता सं. 1/(पीडब्लू 5) को मोनिका चावला के घर ले गया, जहां पीड़िता सं. 1/(पीडब्लू 5) को नौकरानी के रूप में रखा गया और उसे घरेलू काम, सफाई आदि करने के लिए मजबूर किया गया और इस प्रकार पीड़िता सं. 1/(पीडब्लू 5) का आईपीसी की धारा 370(1) के दायरे में शोषण किया गया। आगे अभियोजन पक्ष का प्रकरण यह है कि अपीलकर्ता ने पीड़िता संख्या 2/(पीडब्लू 17) (भोला मुदलिया की बेटी), उम्र लगभग 10 वर्ष को भी दिल्ली में अपहरण कर लिया, जहां उसे सह-अभियुक्त चंपई मुंडा को बेच दिया गया और उसके बाद सह-अभियुक्त चंपई मुंडा पीड़िता संख्या 2/(पीडब्लू 17) को शांति गोलचा के घर ले गया, जहां पीड़िता संख्या 2/(पीडब्लू 17) को जबरन नौकरानी के रूप में रखा गया और उसे घरेलू काम, सफाई आदि करने के लिए मजबूर किया गया और उसे परेशान किया गया और उसका शोषण किया गया। इसके बाद 21.1.2016 को कल्याणी (पीडब्लू 4) (पीडब्लू 17 की मां) द्वारा एफआईआर(एक्स.पी.8) दर्ज कराई गई और इसके परिणामस्वरूप 27.1.2016 को पीड़िता नंबर 1/(पीडब्लू 5) को बारमदगी पंचनामा (एक्स.पी.12) द्वारा बरामद किया गया। इसी प्रकार, पीड़िता नंबर 2/(पीडब्लू 17) को बारामदगी पंचनामा एक्स.पी.10 द्वारा 27.1.2016 को बरामद किया गया। उनकी एमएलसी क्रमशः एक्स.पी.15 और पी.16 द्वारा कराई गई। आवश्यक विवेचना के बाद, अपीलकर्ता को केवल आईपीसी की धारा 363/34, 370/34, 374 और 107 तथा लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (जिसे आगे 'पोक्सो' अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 12 के साथ धारा 17 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया (अन्य चार व्यक्ति फरार हैं)। अभियुक्त/अपीलकर्ता ने दोष अस्वीकार किया और बचाव किया।

3. अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों से पूछताछ की और 31 दस्तावेज एक्स.पी.1 से पी.31 तक पेश किए। हालांकि,



अपीलकर्ता/अभियुक्त ने अपने बचाव में किसी भी साक्षी को पेश नहीं किया और न ही अपने समर्थन में कोई दस्तावेज पेश किया गया।

4. रिकॉर्ड पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करते हुए विचारण न्यायालय ने दिनांक 30.10.2017 को अपने फैसले में अपीलकर्ता को धारा 12 जिसे धारा 17 POCSO अधिनियम के साथ पंढा जावें के अपराध के लिए बरी कर दिया, तथा धारा 363, 370(5)/34 और 374/34 भा०द०स० के अपराध के लिए दोषी ठहराया और उपरोक्त के लिए सजा सुनाई, जिसके खिलाफ यह आपराधिक अपील हमारे समक्ष पेश की गई है।

5. अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री ऋषि राहुल सोनी ने निम्नलिखित प्रस्तुत किया:

- (i) कि, IPC की धारा 363/34 के तहत अपराध के तत्व बिल्कुल गायब हैं।
- (ii) कि, अभियोजन पक्ष IPC की धारा 370(5) के तहत तस्करी के अपराध को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है। इसलिए, यह खारिज किए जाने योग्य है।
- (iv) इसी तरह, आईपीसी की धारा 374/34 के तहत भी अपराध नहीं बनता है। इसलिए, अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

6. दूसरी ओर, श्री सुदीप वर्मा, विद्वान उप सरकारी अधिवक्ता तथा श्री अनमोल शर्मा, प्रतिवादी/राज्य के विद्वान पैनल अधिवक्ता ने प्रश्नाधीन निर्णय का समर्थन किया तथा प्रस्तुत किया कि एक व्यक्ति की तस्करी, वह भी दो नाबालिगों की, अत्यंत गंभीर अपराध है तथा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के मद्देनजर, न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को उपरोक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराना पूर्णतः उचित है, क्योंकि अभिलेख पर पुष्ट प्रकृति के कानूनी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, अतः आपराधिक अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वानों को सुना है तथा ऊपर दिए गए उनके प्रतिद्वंदी तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेखों का भी अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया।

8. विचारणीय पहला प्रश्न यह होगा कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराना न्यायोचित है?



9. अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जो अपहरण के लिए दंडनीय है। अपहरण को भारतीय दंड संहिता की धारा 359 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 359 के अनुसार अपहरण दो प्रकार का होता है: भारत से अपहरण तथा वैध संरक्षकता से अपहरण। आईपीसी की धारा 361 वैध संरक्षकता से अपहरण को परिभाषित करती है, जिसमें निम्नांकित प्रावधान हैं:—

"361. वैध संरक्षकता से अपहरण.— जो कोई भी व्यक्ति, यदि वह पुरुष है तो सोलह वर्ष से कम आयु का नाबालिग, या यदि वह महिला है तो अठारह वर्ष से कम आयु का नाबालिग, या किसी विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति को, ऐसे नाबालिग या विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति के वैध संरक्षक की देखरेख से, ऐसे अभिभावक की सहमति के बिना ले जाता है या बहकाता है, तो उसे ऐसे नाबालिग या व्यक्ति को वैध संरक्षकता से अपहरण करना कहा जाता है।"

10. आईपीसी की धारा 359 का उद्देश्य नाबालिग या पागल व्यक्तियों की वैध देखरेख या अभिरक्षा रखने वाले माता-पिता और अभिभावकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए। धारा 361 में चार तत्व हैं:—

- (1) किसी नाबालिग या व्यक्ति को ले जाना या बहकाना विकृत मानसिकता का।
- (2) यदि नाबालिग लड़का है तो उसकी आयु सोलह वर्ष से कम होनी चाहिए, या यदि लड़की है तो उसकी आयु अठारह वर्ष से कम होनी चाहिए।
- (3) नाबालिग को ले जाना या फुसलाना ऐसे नाबालिग या विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति के वैध अभिभावक की देखरेख में नहीं होना चाहिए।
- (4) ऐसा ले जाना या फुसलाना ऐसे अभिभावक की सहमति के बिना होना चाहिए।

जहां तक वैध अभिभावकत्व से नाबालिग लड़की का अपहरण करने का सवाल है, तो तत्व ये हैं: (i) लड़की की आयु 18 वर्ष से कम थी; (ii) ऐसा नाबालिग किसी वैध अभिभावक के संरक्षण में था, और (iii) अभियुक्त ने ऐसे व्यक्ति को ऐसी देखरेख से बाहर ले जाया या फुसलाया और ऐसा ले जाना वैध अभिभावक की सहमति के बिना किया गया था।



11. एस. वरदराजन बनाम मद्रास राज्य के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के उद्देश्य पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि यदि अभियोजन पक्ष यह स्थापित कर देता है कि यद्यपि नाबालिग के पिता के संरक्षण से जाने से ठीक पहले अभियुक्त द्वारा कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई गई थी, फिर भी उसने पहले किसी चरण में नाबालिग को ऐसा करने के लिए उकसाया या राजी किया था और आगे यह माना कि यदि इनमें से किसी एक बात को स्थापित करने के लिए साक्ष्य का अभाव है तो यह अनुमान लगाना वैध नहीं होगा कि अभियुक्त नाबालिग को वैध अभिभावक की देखभाल से बाहर निकालने का दोषी है और उसे दोषी माना गया। हालांकि, यह पर्याप्त होगा यदि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करता है कि यद्यपि नाबालिग के पिता के संरक्षण से जाने से ठीक पहले अभियुक्त द्वारा कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई गई थी, किन्तु उसने पहले किसी चरण में नाबालिग को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था या राजी किया था। यदि इनमें से किसी एक बात को स्थापित करने के लिए साक्ष्य की कमी है तो यह अनुमान लगाना वैध नहीं होगा कि अभियुक्त नाबालिग को अपने संरक्षण से बाहर निकालने का दोषी है, क्योंकि वह वास्तव में अपने अभिभावक के घर या उस घर को छोड़ चुकी है जहाँ उसके अभिभावक ने उसे रखा था, अभियुक्त के साथ शामिल हो गई और अभियुक्त ने उसे अपने साथ जगह-जगह ले जाकर उसके अभिभावक के घर वापस न लौटने की उसकी योजना में मदद की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका को नाबालिग को उसके वैध अभिभावक से बाहर निकलने के इरादे की पूर्ति में सहायता करने के रूप में माना जा सकता है लेकिन यह भूमिका नाबालिग को उसके वैध अभिभावक की निगरानी से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करने के मामले में कमतर है और इसलिए इसे "लेने" के बराबर नहीं माना जा सकता है।"

12. आईपीसी की धारा 361 के तहत अपराध के साक्ष्यों के प्रकाश में वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, जो आईपीसी की धारा 363 के तहत दंडनीय है और साथ ही एस.वरदराजन (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांतों के अनुसार, यह स्पष्ट है कि पीड़िता संख्या 1 की जांच पीडब्लू-5 के रूप में की गई है। न्यायालय के समक्ष अपने बयान में (पीडब्लू-5) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलकर्ता उसे ट्रेन से दिल्ली में सेवा करने के बहाने ले गया था और उसे मोनिका चावला के घर में काम पर रखा गया था, जहाँ उसने चार महीने तक काम किया, लेकिन



मोनिका चावला ने उसे ऐसा कोई पैसा नहीं दिया। हालाँकि, प्रतिपरीक्षण में, उसने यह भी कहा है कि दिल्ली जाते समय अपीलकर्ता, उसकी पत्नी और उसकी सहेलियाँ मौसी भी उसके साथ थी और काम करने तथा 4000/- रुपये प्राप्त करने के उद्देश्य से वह दिल्ली गयी थी। पीड़िता क्रमांक 1 की मां रायमुनी गगराई से भी पी.डब्लू.-11 के रूप में पूछताछ की गई है। यद्यपि अपने बयान के पैरा-2 में उसने कहा है कि अपीलकर्ता ने उसकी बेटी को दिल्ली में बेच दिया था, लेकिन अपने प्रतिपरीक्षण में उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसकी बेटी अपनी मर्जी से दिल्ली गयी थी और अपीलकर्ता ने उसका अपहरण नहीं किया था। उसने यह भी कहा है कि अपीलकर्ता ने कल्याणी (पी.डब्लू.-17) की बेटी का अपहरण नहीं किया था। इसी प्रकार, पीड़िता क्रमांक 2 (पी.डब्लू.-17) ने न्यायालय के समक्ष अपने बयान में कहा है कि अपीलकर्ता ने किरोड़ीमल नगर से रायगढ़ तथा रायगढ़ से दिल्ली इधर-उधर घुमाने के लिए ले गया था। पैरा-10 में उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलकर्ता ने उसे अपने साथ दिल्ली जाने के लिए मजबूर नहीं किया था। इसी प्रकार कल्याणी (पीडब्लू-4) (पीड़िता संख्या 2 की मां) ने अभियोजन पक्ष की ओर से मुख्य प्रश्न पूछे जाने पर स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि कुछ काम सीखने के उद्देश्य से अपीलकर्ता उसकी बेटी को दिल्ली ले गया था तथा उसके द्वारा पूछे जाने पर अपीलकर्ता ने उसे बताया था कि काम सीखने के बाद वह एक महीने बाद वापस आ जाएगी। उसने पैरा-14 में यह भी कहा है कि अपीलकर्ता रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन कोटरा रोड गया था तथा उसकी मदद की थी।

13. दो पीड़ितों (पीडब्लू-5 और पीडब्लू-17) और उनकी माताओं रायमुनी गगराई (पीडब्लू-11) (पीड़िता संख्या 1 पीडब्लू-5 की मां) और कल्याणी (पीडब्लू-4) (पीड़िता संख्या 2 पीडब्लू-17 की मां) के बयानों का सावधानीपूर्वक अध्ययन से, यह नहीं माना जा सकता कि अपीलकर्ता ने आईपीसी की धारा 361 के अर्थ में दो पीड़ितों को ले जाया या बहलाया था और इसलिए, आईपीसी की धारा 363 के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता को दर्ज की गई सजा और सजा को रद्द किया जाना चाहिए।

14. अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 370(5) के तहत अपराध के लिए भी दोषी ठहराया गया है।

15. यह विचार करने के लिए कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 370(5) के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराया जाना न्यायोचित है या नहीं, यह ध्यान में रखना



उचित होगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 370(1) और (5) में निहित निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए:—

"370. मानव तस्करी.—(1) जो कोई शोषण के उद्देश्य से, (क) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को भर्ती करता है, (ख) परिवहन करता है, (ग) आश्रय देता है, (घ) स्थानांतरित करता है, या (ङ) प्राप्त करता है, —

पहला. धमकी देकर, या

दूसरा. बल प्रयोग करके, या किसी अन्य प्रकार की जबरदस्ती, या

तीसरा. अपहरण करके, या

चौथा. धोखाधड़ी या छल करके, या

पांचवां. शक्ति का दुरुपयोग करके, या

छठा. प्रलोभन देकर, जिसमें भुगतान देना या प्राप्त करना शामिल है लाभ, भर्ती, परिवहन, आश्रय, स्थानांतरित या प्राप्त व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले किसी भी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए, तस्करी का अपराध करता है।

स्पष्टीकरण— "शोषण" शब्द में शारीरिक शोषण या यौन शोषण, गुलामी या गुलामी, दासता या दासता के समान प्रथाओं का कोई भी कार्य अंगों को जबरन निकालना शामिल होगा।

स्पष्टीकरण 2. तस्करी के अपराध के निर्धारण में पीड़ित की सहमति महत्वहीन है।

(5) जहां अपराध में एक से अधिक नाबालिगों की तस्करी शामिल है, वहां उसे कम से कम चौदह वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी देना होगा।"

16. तस्करी को भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के रूप में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा 3.2.2013 से कानून की किताब में लाया गया था। उक्त संशोधन लाकर, विधायिका ने आईपीसी की धारा 370 के तहत अपराध के दायरे को बढ़ाया है और इसके दायरे में न केवल दासता की शरारत, बल्कि नाबालिगों और वयस्कों की सामान्य तस्करी और जबरन या बंधुआ बिलास वेश्यावृत्ति, मजदूरी, अंग प्रत्यारोपण और कुछ हद तक बाल विवाह को भी शामिल किया है।

17. इस नए अपराध के प्रयोजनों के लिए, अपराधी को पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, इस प्रकार ऐसे अपराध के कमीशन के हर पहलू को कवर किया गया है। एक व्यक्ति को अपराध के दायरे में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

यदि वह (i) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को भर्ती करता है या (ii) परिवहन करता है, (iii) शरण देता है, (iv) स्थानांतरित करता है या (v) प्राप्त करता है।



18. शोषण इस नए मानव तस्करी अपराध का मूल है। इस शोषण को निम्नलिखित में से किसी भी आचरण से समझा जा सकता है:-

- (1) तस्करी किए गए सामान का उपयोग। पीड़ित को धमकाना
- (ii) तस्करी के शिकार व्यक्ति पर बल या किसी अन्य प्रकार का दबाव डालना।
- (iii) तस्करी के शिकार व्यक्ति का अपहरण करके।
- (iv) तस्करी के शिकार व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी या छल करके।
- (v) तस्करी के शिकार व्यक्ति पर सत्ता का दुरुपयोग करके।
- (vi) पीड़ित को, जो भुगतान या लाभ प्राप्त कर रहा है या प्राप्त कर रहा है, प्रलोभन देकर, भर्ती किए गए, परिवहन किए गए, आश्रय दिए गए, स्थानांतरित किए गए व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए।

19. इस धारा में जो पहला स्पष्टीकरण जोड़ा गया है, वह शोषण, शारीरिक शोषण के किसी भी कृत्य या यौन शोषण के किसी भी रूप, गुलामी या गुलामी, दासता या अंगों को जबरन निकालने जैसी प्रथाओं के अर्थ को और बढ़ाता है। इस धारा में जो दूसरा स्पष्टीकरण जोड़ा गया है, वह शारीरिक शोषण या यौन शोषण के किसी अन्य रूप, गुलामी या गुलामी, दासता या अंगों को जबरन निकालने जैसी प्रथाओं के लिए पीड़ित की सहमति का बचाव करने से अभियुक्त की संभावना को समाप्त कर देता है। अंगों को जाली तरीके से निकालना।

20. दिनांक 24.6.2016 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 370/34 के तहत अपराध सहित आरोप तय किया गया, जो इस प्रकार है:-

"(2) तुमने उसी दिनांक समय व स्थान में अवयस्क अभियोक्त्री कुमारी शीतल मुदुझ्या एवं कुमारी सुकासी गगराई उम्र कमशः 10 वर्ष एवं 14 वर्ष को प्रकरण के फरार अभियुक्तगण के साथ निर्मित सामान्य आशय के अग्रसरण से शोषण के प्रयोजन के लिए कपट का प्रयोग करके या प्रवंचना द्वारा या उत्प्रेरणा के द्वारा परिवहन ग्राम किरोडीमल नगर से उन्हें दिल्ली ले जाकर आरोपी चम्पई मुण्डा को बेच कर उनका दुव्यापार किया। आपका उक्त कृत्य धारा



370/34 भा.द.वि. के तहत दंडनीय है एवं इस न्यायालय के संज्ञान में है।"

21. विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध तैयार किए गए उपरोक्त आरोप का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि 21.1.2016 से पहले सामान्य आशय को आगे बढ़ाते हुए उसने फरार सह-आरोपियों के साथ मिलकर शोषण और धोखाधड़ी/धोखाधड़ी/प्रलोभन के उद्देश्य से पीड़ितों क्रमांक 1/(पीडब्लू-5) और 2 (पीडब्लू-17) को किरोड़ीमल नगर से रायगढ़ और रायगढ़ से दिल्ली ले जाकर सह-आरोपी चंपई मुंडा को बेच दिया और इस तरह अपराध किया।

22. किसी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 370 के तहत अपराध यानी किसी व्यक्ति की तस्करी के लिए दोषी ठहराने के लिए यह अनिवार्य है कि अपराध शोषण के उद्देश्य से किया गया हो। किसी व्यक्ति को शोषण के उद्देश्य से ले जाया गया हो, भर्ती किया गया हो, शरण दी गई हो या प्राप्त किया गया हो। स्पष्टीकरण 1 में यह भी प्रावधान है कि "शोषण" में शारीरिक शोषण या किसी भी प्रकार का यौन शोषण, गुलामी या गुलामी, दासता या अंगों को जबरन निकालने जैसी कोई भी क्रिया शामिल होगी।

23. इस मामले में, दोनों पीड़ितों के खिलाफ यौन शोषण, गुलामी या गुलामी, दासता या अंगों को जबरन निकालने जैसी कोई भी क्रिया, यदि कोई हो, का कोई आरोप नहीं है।

24. एकमात्र आरोप यह है कि अपीलकर्ता ने पीड़िता संख्या 1 और 2 को मोनिका चावला और शांति गोलचा के घर में नौकरानी के तौर पर घरेलू काम करने के लिए मजबूर किया था। कल्याणी (पीड़िता संख्या 2 की मां) से पीडब्लू-4 के रूप में पूछताछ की गई है। अभियोजन पक्ष को उससे सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई है। न्यायालय के समक्ष अपने बयान के पैरा-6 में, उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलकर्ता उसकी बेटी/पीड़िता संख्या 2 को कुछ काम सीखने के लिए ले गया था और उसके पूछने पर, अपीलकर्ता ने उसे यह भी बताया कि उसकी बेटी काम सीखने के एक महीने बाद आएगी। अपनी जिरह में उसने यह भी कहा है कि अपीलकर्ता उसकी बेटी को इधर-



उधर घुमाने/काम सीखने के उद्देश्य से ले गया था। इसी तरह, रायमुनी गगराई (पीडब्लू-11) (पीड़िता नंबर 1 की मां) ने कहा है कि रोजगार पाने के उद्देश्य से अपीलकर्ता उसकी बेटी को दिल्ली ले गया और उसके बाद उसे बेच दिया। अभियोजन पक्ष को सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई है, जहां उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसकी बेटी अपनी मर्जी से दिल्ली गई थी और अपीलकर्ता उसकी बेटी को जबरदस्ती दिल्ली नहीं ले गया था। उसने आगे कहा है कि अपीलकर्ता उसकी पुत्री को 4000/- प्रतिमाह अर्जित करने हेतु अपने साथ ले गया था। इसी तरह पीड़िता संख्या 1 (पीडब्लू-5) ने कहा है कि अपीलकर्ता उसे दिल्ली ले गया था और उसे मोनिका चावला के घर में काम करने के लिए कहा गया था और उसने मोनिका चावला के घर में चार महीने तक काम किया, लेकिन मोनिका चावला द्वारा उसे ऐसा कोई भुगतान नहीं किया गया। पैरा-12 में, उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि 4000/- रुपये प्रतिमाह दिलाने के बहाने उसे दिल्ली ले जाया गया था। इसी तरह पीड़िता संख्या 2 (पीडब्लू-17) से भी पूछताछ की गई है। उसने न्यायालय के समक्ष अपने बयान में कहा है कि दिल्ली घूमने के उद्देश्य से उसे किरोड़ीमल नगर, रायगढ़ से जसप लाया गया था, जहां उसने शांति गोलछा के घर में काम करने को कहा था और अस्वस्थ होने पर उसके नियोक्ता ने उसे अपनी मां से फोन पर बात करने की अनुमति दी थी। इस पीड़िता का मामला ऐसा नहीं है कि उसे कोई पैसा नहीं दिया गया। पैरा-10 में उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे रायगढ़ से आकर दिल्ली जाने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। वह स्वेच्छा से घूमने-फिरने के उद्देश्य से शामिल हुई थी।

25. पीड़ित संख्या 1 और 2 (पीडब्लू-5 और पीडब्लू-17) और उनकी माताओं अर्थात् रायमुनी गगराई (पीडब्लू-11) और कल्याणी (पीडब्लू-4) के बयानों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट है कि यद्यपि दो पीड़ितों को रायगढ़ से दिल्ली ले जाया गया था और उन्हें अपने-अपने मालिकों के घर में नौकर के रूप में काम करने के लिए कहा गया था, लेकिन रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि उन्हें धमकी देकर या बल प्रयोग करके या किसी प्रकार की जबरदस्ती करके या उनका अपहरण करके या धोखाधड़ी या छल करके दिल्ली ले जाया गया था, क्योंकि उनके बयानों से पता चलता है कि दोनों पीड़ित नाबालिग थे, लेकिन वे कुछ काम सीखने, इधर-उधर जाने या घूमने के उद्देश्य से दिल्ली गए थे। हालांकि उन्हें काम करने



की अनुमति थी, लेकिन केवल पीड़िता नंबर 1 को उसके काम के बदले 4-5 महीने तक वेतन नहीं दिया गया, जो उसने नौकरानी के रूप में काम किया, अदालत ने रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं दिया कि उन्हें शोषण के उद्देश्य से दिल्ली ले जाया गया था, जो आईपीसी की धारा 370 (1) के तहत अपराध के लिए सजा के लिए एक अनिवार्य शर्त है।

26. ब्लैक लॉ डिक्शनरी, छठे संस्करण में "शोषण" शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: -

"शोषण। शोषण करने, उपयोग करने या काम करने की क्रिया या प्रक्रिया।

उद्योग, तर्क, खदान या अन्य खाते या जंगल के शोषण की ओर मुड़ने के साधनों के आवेदन द्वारा उपयोग। स्टेट फाइनेंस कंपनी बनाम हैमचर, 171 वाश।15, 17 पी.2 डी 610, 613। अपने फायदे या लाभ के लिए दूसरे का अनुचित लाभ उठाना (जैसे अवैध विदेशियों को कम मजदूरी देना)।"

27. इसी तरह, लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ कंटेम्पररी इंग्लिश एडिशन में "शोषण" शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: -

शोषण 1 ऐसी स्थिति जिसमें आप लोगों से अनुचित तरीके से पेश आते हैं, उनसे आपके लिए कुछ करने के लिए कहते हैं, लेकिन बदले में उन्हें बहुत कम देते हैं - अस्वीकृति दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। [tof] फिल्म उद्योग महिलाओं के यौन शोषण पर पनपता है। 2 व्यापार या उद्योग के लिए खनिजों, जंगलों, तेल आदि का विकास और उपयोग: (के) संसाधनों का अत्यधिक दोहन वाणिज्यिक/आर्थिक शोषण 3 किसी चीज़ का निम्नलिखित और प्रभावी उपयोग [tof] इन आंकड़ों का अधिक से अधिक दोहन 4 किसी स्थिति से जितना संभव हो सके उतना प्राप्त करने का प्रयास, कभी-कभी अनुचित तरीके से: [tof] राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म का शोषण।

28. उपरोक्त चर्चा के आलोक में वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, यह बिल्कुल सही है कि दो पीड़ितों (पीडब्लू-5 और पीडब्लू-17) को दिल्ली से ले जाया गया था, लेकिन वे रोजगार पाने के उद्देश्य से/दिल्ली में घूमने के उद्देश्य से अपीलकर्ता की कंपनी में शामिल हो गईं, जो स्पष्ट रूप से पीड़िता संख्या 2) और रायमुनी गगराई



(पीडब्लू-11) (पीड़िता संख्या 1 की मां) हैं और उनसे घरेलू काम करने को कहा गया, लेकिन अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि उनका आईपीसी की धारा 370(1) के अर्थ में शोषण किया गया था, विशेष रूप से शारीरिक शोषण या यौन शोषण का कोई आरोप नहीं था या उन्हें गुलामी या गुलामी, दासता या अंगों को जबरन निकालने जैसी प्रथाओं के अधीन किया गया था। हालांकि, पीड़ितों में से एक (पीड़िता संख्या 1) को वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, वह इसके लिए हकदार थी, लेकिन अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 370(5) के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उपरोक्त कानूनी चर्चा के मद्देनजर, हम यह मानने में असमर्थ हैं कि अपीलकर्ता ने आईपीसी की धारा 370(1) के अर्थ में शोषण के उद्देश्य से दो नाबालिग पीड़ितों (पीडब्लू-5 और पीडब्लू-17) का अपहरण किया है और इसलिए, आईपीसी की धारा 370(1) के साथ धारा 370(5) के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराने में ट्रायल कोर्ट का फैसला पूरी तरह से अनुचित है। इसलिये आईपीसी की धारा 374/34 के तहत उसकी दोषसिद्धि नहीं की जा सकती।

29. उपरोक्त कानूनी चर्चा के मद्देनजर, हम यह मानने में असमर्थ हैं कि अपीलकर्ता ने आईपीसी की धारा 370(1) के अर्थ में शोषण के उद्देश्य से दो नाबालिग पीड़ितों (पीडब्लू-5 और पीडब्लू-17) का अपहरण किया है और इसलिए, ट्रायल कोर्ट द्वारा अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 370(1) के साथ धारा 370(5) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराना बिल्कुल अनुचित है। हालांकि, आईपीसी की धारा 374/34 के तहत उसकी दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा जाता है क्योंकि अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया है।

30. परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई आपराधिक अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 370(5)/34 के तहत अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि और सजा को रद्द किया जाता है। उन्हें तत्काल रिहा किया जाता है, जब तक कि किसी अन्य मामले में इसकी आवश्यकता न हो।



31. हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय में की गई कोई भी टिप्पणी केवल लखन बांद्रा @ सरजोम द्वारा दायर की गई अपील पर निर्णय लेने के उद्देश्य से है और इसमें की गई किसी भी टिप्पणी को अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों की भूमिका के संबंध में राय के रूप में नहीं समझा जाएगा जो फरार हैं या उन पर एक ही अपराध संख्या में अलग से मुकदमा चलाया जा रहा है।

एसडी/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

एसडी/-
(सचिन सिंह राजपूत)
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

